कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य / मा–स / 22432 / उत्सव / 2018–19 / दिनांकः 18.4.19

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
   पदेन जिला परियोजना समन्वयक
   समग्र शिक्षा अभियान।
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं
   पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी
   समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली बाल सभाओं के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पूर्व प्रसारित निर्देश पत्रांकः शिविरा–माध्य /मा–द/22492/प्रवेशोत्सव / 2019–20/18 दिनांक 15.4.2019 एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पत्रांकः रास्कूशिप /जय/सामु.गति/बाल सभा/2018–19/614 दिनांक 18.4.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के प्रासंगिक निर्देश पत्र में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में दिनांक 09.05.2019 को प्रातः 8:00 से 11:00 बजे के मध्य आयोजित की जाने वाली वृहद् बाल सभा के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त सन्दर्भ में लेख है कि समस्त विद्यालयों में पूर्व से प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली नियमित बालसभा अब माह में तीन बार आयोजित की जानी है, जिसमें एक बाल सभा माह में पड़ने वाली अमावस्या को तथा अन्य दो बाल सभा अमावस्या के आगे–पीछे आने वाले शनिवार को छोड़ते हुए अन्य दो शनिवार को आयोजित होगी। ये बालसभाएं पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार गांव/वास स्थान के सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जायेगी।

दिनांक 09.05.2019 को आयोज्य वृहद् बालसभा हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशों की निरन्तरता में क्षेत्राधिकार में अग्रांकित निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें :–

1. विद्यालय द्वारा बालसभा हेतु विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों एवं ग्रामीणों को आमन्त्रण पत्र प्रेषित किये जावें। आमन्त्रण के लिये परम्परागत तरीके से पीले चावल भी भेजे जावें।
2. 9 मई 2019 –गुरूवार को वृहद स्तर पर आयोजित की जाने वाली उक्त बाल सभा की ठोस कार्य योजना तैयार करने हेतु समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थों एवं सम्बन्धित जिले के अन्य विभागों यथा–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के CMHO, BCMHO, MO तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के DD, CDPO, ACDPO, महिला पर्यवेक्षकों के साथ समुचित समन्वय हेतु जिला स्तर की संयुक्त बैठक आगामी 2–3 दिन में करके इसको विस्तृत प्लान तैयार करेंगे तथा जिले की प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की प्रत्येक स्कूल के लिए बाल सभा हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा । बाल सभा हेतु नियुक्त उक्त प्रभारी अधिकारी विद्यालय में संस्था प्रधान तथा स्टाफ सदस्यों के साथ पारस्परिक विमर्श उपरान्त बाल सभा आयोजन को भव्य स्वरूप प्रदान करने तथा इसके उद्देश्यपूर्ण आयोजन हेतु अग्रिम कार्य योजना निर्मित कर प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायेंगे। समस्त सी.डी.ई.ओ. गण उक्तानुसार जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों की सूची जिला प्रशासन से प्राप्त कर उनके साथ समुचित समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित कर अन्य विभागों के अधिकारियों को बालसभा के लिए किसी एक स्कूल का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने की कार्यवाही अन्य विभागों के साथ समन्वय उपरान्त शीघ्रताशीघ्र सम्पादित कर लेंवे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के प्रासंगिक पत्रानुसार प्रवेशोत्सव/बाल सभा आयोजन हेतु तिथिवार कार्य योजना निम्नानुसार रहेगी :–

क्र. स.	दिनांक	गतिविधि	गतिविधि विवरण	क्रियान्वयन स्तर
1	22.4.2019	बैठक	DEO (Sec), DEO(Ele), DIET Principals,ADPC,CBEO,s चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास (समन्वित बाल सेवाऐं एवं महिला अधिकारिता) विभाग के साथ CDEO,s की बाल सभा आयोजन हेतु विद्यालयवार प्रभारी अधिकारी एवं रूपरेखा हेतु बैठक	CDEO,s
2	23.4.2019 से 25.4.2019	बैठक	CDEO,s का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास (समन्वित बाल सेवाऐं एवं महिला अधिकारिता) विभाग तथा विभिन्न जिला स्तरीय विभागो के साथ सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर प्रत्येक विद्यालय हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी करना।	CDEO,s
3	23.4.2019	बैठक	CBEO,s की PEEO,s के साथ अन्तिम कार्य योजना हेतु बैठक	CBEO,s
4	24.4.2019	बैठक	PEEO,s की संस्था प्रधानो के साथ बैठक	PEEO,s
5	25.4.2019	बैठक	CDEO,s द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रति विद्यालय हेतु नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारियों की सूचना मय दूरभाष नम्बर परिषद को प्रेषित करना।	CDEO,s
6	26.4.2019 प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक	वीडियो कांफ्रेंस	CDEO,s चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास (समन्वित बाल सेवाऐं एवं महिला अधिकारिता) विभाग के साथ प्रवेशोत्सव / बाल सभा आयोजन की तैयारियों के सम्बन्ध में चर्चा हेतु वीडियो कांफ्रेंस	परिषद कार्यालय

3. 9 मई 2019 को प्रातः 8:00 से 11:00 बजे के मध्य बाल सभा सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जाए एवं उस बाल सभा का अध्यक्ष सम्बन्धित विद्यालय के ही किसी छात्र/छात्रा को बनाया जाये।
4. प्रत्येक जिले में बाल सभा आयोजन की पूर्व तैयारी एवं मॉनिटरिंग हेतु जिले के आधे ब्लॉकों का दायित्व समग्र शिक्षा अभियान के जिला प्रभारी तथा शेष आधे ब्लॉकों का दायित्व निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी संभालेंगे। उपर्युक्तानुसार जिला प्रभारी गण 9 मई 2019 को निर्धारित प्रपत्र में प्रातः 11 बजे सूचना सम्बन्धित सी.बी.ई.ओ. गण से प्राप्त कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर की ई-मेल आईडी cmsmsa 2018@ gmail.com पर भिजवाएंगे। समय पर सूचना सम्प्रेषण हेतु समस्त जिलों में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान समुचित सूचना एकत्रीकरण के लिए अपने कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर को दायित्वबद्ध करेंगे, जो समस्त सी.बी.ई.ओ. गण से प्राप्त सूचना जिला स्तर पर समेकित कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर की पूर्वोल्लेखित ई-मेल आईडी पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. बाल सभा आयोजन के दौरान प्रत्येक कक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बालक /बालिकाओं को पुरस्कृत किये जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करवाएं।

6. माह मई– जून, 2019 की शिविरा पत्रिका के सयुंक्तांक में बाल सभा पर विशिष्ट सामग्री प्रकाशित की जाकर उक्त अंक को **'बाल सभा विशेषांक'** के रूप में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्रम में विभाग में कार्यरत इच्छुक एवं अभिरूचि सम्पन्न शिक्षकों/कार्मिकों से विषयानुरूप रचना सामग्री यथा–आलेख, कविताएं एवं फोटोग्राफ सम्पादक–शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर–334001 के पते पर आगामी एक सप्ताह की समयावधि में भिजवाये जाने हेतु क्षेत्राधिकार में तत्काल निर्देश प्रसारित करावें। इस सम्बन्ध में रचना/कविता प्रेषण हेतु सृजनशील एवं मेधा सम्पन्न विद्यार्थियों को भी प्रेरित करने के समुचित प्रयास किए जायें।
7. उक्त बाल सभा आयोजन के पश्चात् विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी 9 मई 2019 को विद्यालय में किया जाए।
8. पूर्व प्रदत्त निर्देशानुरूप मौजूदा सत्र के अन्तिम कार्य दिवस अर्थात् 09.05.2019 को ही PTA तथा SDMC \ SMC की साधारण सभा का संयुक्त आयोजन भी किया जाना है।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से उपर्युक्त निर्देशों की पालना/ क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
7. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान सह अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
12. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु ।
14. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर ।
15. वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को शिविरा पत्रिका के आगामी अंक को 'बाल सभा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित करवाने हेतु अग्रिम/यथोचित कार्यवाही सम्पादन हेतु।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
17. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर